कार्यालय उपायुक्त कार्यालय, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांकः- 27/04/2025

विषयः- **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा लोहटिया नक्खास से महिला के गले से सोने के चैन की लूट करने वाले अभियुक्तगण को मय चैन की बिक्री के नगद 36000/- रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराधों की रोकथाम तथा चोरी/लूट की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 25.04.2025 को पंजीकृत मु0अ0सं0 047/2025 धारा 309(4) बीएनएस से संबधित सोने की चैन जिसको अभियुक्तगण द्वारा रिक्से पर बैठकर जा रही महिला के गले से लूट लिये थे और उसको अपने दोस्त की मदद से सोने की दुकान पर अपना बताकर 48600/-रुपये में बेच दिये थे। मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण को हरिश्चंद्र पार्क के अंदरर से 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से सोने की चैन के बिक्री के नगद 36000/- रुपये बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी यू.पी. 65 एक्स एक्स 7492 को कब्जा पुलिस में लेकर 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 317(2) व 317(5) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरणः- वादी मुकदमा की मां और उसकी बहन दिनांक 22.04.2025 को रात 09.00 बजे बाबा काल भैरव मंदिर से पूजा कर वापस अपने घर के लिए रिक्से में बैठकर जा रहे थे और जब वे लोग लोहटिया नक्खास शराब ठेका के पास पहुंचे थे कि अचानक से एक आदमी वादी मुकदमा की माता के गले से सोने की चैन को छीनकर वादी मुकदमा की मां व बहन को धमकी देते हुये लोहटियाँ की ओर भाग गया जिसका पीछा वादी मुकदम की बहन द्वारा किया गया तो उसने देखा कि सोने की चैन को लूटने वाला व्यक्ति जिसका पहले से दो व्यक्ति स्कूटी लेकर इंतजार कर थे उसी स्कूटी पर बैठकर तीनों लोग भाग निकले थे। जिसके संबंध में वादी मकुदमा द्वारा दिनांक 25.04.2025 को तहरीर देकर थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

विवरण पूछताछः- पूछताछ पर अभियुक्तगण गोलू सोनकर हर्ष यादव व शुभम यादव उर्फ लालू द्वारा बताया कि दिनांक 22.04.25 को हम लोगो ने रात के समय में लगभग 9 बजे नक्खास लोहटिया देशी शराब की दुकान के पास से दो महिलाएं जो एक रिक्शे पर बैठकर जा रही थी तथा उनमें से एक महिला ने अपने गले में एक सोने का चैन पहना हुआ था। उसकी रेकी करने के बाद उस सोने के चैन को लूटने के लिए योजना बनायी और चैन को महिला के गले से लूटने के लिए हम दोनों लोगों ने शुभम यादव उर्फ लालू को उस महिला के पास भेजा तथा मैं गोलू सोनकर

और हर्ष यादव थोड़ी दूर पर अपनी स्कूटी खड़ी कर शुभम के लौटने का इंतजार करने लगे। जब शुभम यादव उर्फ लालू उस महिला से चैन लूटकर ले आया तो हम तीनों अपनी स्कूटी से भाग गए। सोने की चैन को लूटने के बाद हम लोगों ने उसे गोलू सोनकर के जीजा अनिल सोनकर को बेचने के लिए दे दिया जिसने विजय कुमार चौरसिया की मदद से नाटी इमली में स्थित शीश महल ज्वेलर्स पर जाकर 48600/- रुपए में बेचा था। तत्पश्चात अनिल सोनकर उपरोक्त से पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि इन तीनों ने जब सोने की चैन लूटकर मेरे पास लाया तो मेरे भी मन में लालच आ गया लेकिन डर के कारण इसे मै किसी दुकानदार को बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था इसलिए मैंने अपने दोस्त विजय कुमार चौरसिया को बताया तो उसने बताया कि परेशान न हो चैन को बेचने की जिम्मेदारी मेरी है लेकिन मुझे भी इसका हिस्सा चाहिए। इस शर्त पर विजय ने उस सोने की चैन को शीश महल ज्वेलर्स नाटी इमली पर ले जाकर 48600/- रुपए में बेच दिया। विजय कुमार चौरसिया से कड़ाई से पूछताछ करने पर बता रहा है कि कुछ पैसों की लालच में आकर मैने लूटे हुए सोने की चैन को शीश महल ज्वेलर्स पर जाकर उस चैन को अपना बताते हुए बेच दिया और बेचने पर 48600/- रुपए प्राप्त हुए। आज हम लोग वही पैसों का आपस में बटवारा करने के लिए यहां इकट्ठा हुए थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया। बरामद रुपए के बारे में पूछने पर एक साथ पाचों लोग उपरोक्त बता रहे हैं कि लूटे हुए सोने की उस चैन को रुपये 48600 में बेचा गया था तथा खर्च करने के बाद 36000 रुपये बचे थे बचे हुए 36000 रुपयों को आपस में बांटने के लिये हम लोग आज रात में यहां इकट्ठा हुए और बांटकर अपना अपना हिस्सा लेकर जाने ही वाले थे कि आप लोगों ने आकर पकड़ लिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1. शुभम यादव उर्फ लालू पुत्र तिलकू यादव निवासी रूप्पनपुर, पंचकोसी थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष
2. हर्ष यादव पुत्र अखिलेश यादव निवासी SA 21/48 C 2 K रुपनपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 18 वर्ष
3. गोलू सोनकर पुत्र महेश कुमार सोनकर निवासी SA 21/131-1 रुप्पनपुर पंचकोसी थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 22
4. अनिल सोनकर पुत्र राजकुमार सोनकर निवासी K 67/155 ईश्वरगंगी, थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 35 वर्ष
5. विजय कुमार चौरसिया पुत्र स्व0 ज्ञानचंद चौरसिया निवासी J 11/117 B 20 A 1 नई बस्ती, ईश्वरगंगी थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 42 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास अभि0गणः</u>- अन्य अपराध के बारें में जानकारी किया जा रहा है।

<u>अभियुक्त गोलू सोनकर के विरुद्ध</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	287/23	323/341/504/506 भादवि	सारनाथ	वाराणसी

<u>अभियुक्त अनिल सोनकर के विरुद्ध</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	58/24	323, 427, 504, 506 भादवि	जैतपुरा	वाराणसी

<u>बरामदगी का विवरण-</u> सोने की चैन की बिक्री के नगद 36000/-रुपया बरामद।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी का स्थान व समयः-</u> दिनांक- 26.04.2025 समय 23.40 बजे स्थानः- हरिश्चंद्र पार्क में सार्वजनिक शौचालय के पास थाना कोतवाली वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. श्री दया शंकर सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0 श्री शिव स्वरूप पाण्डेय,चौकी प्रभारी सप्तसागर थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी,
3. उ0नि0 श्री विकास कुमार मिश्र चौकी प्रभारी काल भैरव थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी
4. उ0नि0 पीयूष कुमार चौकी प्रभारी अमियामंडी, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
5. उ0नि0 प्रशान्त गुप्ता चौकी प्रभारी गायघाट, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
6. उ0नि0 विजय कुमार यादव कोतवाली कमि0 वाराणसी
7. उ0नि0 अमन सिंह थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
8. हे0का0 आनन्द कुमार यादव, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
9. का0 सूरज यादव, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
10. का0 शिवम भारती, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।
11. का0 सुभाष चन्द, थाना कोतवाली कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, कार्यालय
काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी।